

## संवेदनशील गवाहों की रक्षा करना: SC

### प्रलिस के लिये:

संवेदनशील गवाह जमा केंद्र (VWDC), अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार), भारत के संविधान का अनुच्छेद 141/142।

### मेन्स के लिये:

भारत में गवाह संरक्षण, वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर), संवेदनशील गवाह जमा केंद्र, धारा 377 आईपीसी, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में **सर्वोच्च न्यायालय (SC)** ने संवेदनशील गवाहों के अर्थ का वस्तुतः करते हुए इसमें अन्य यौन उत्पीड़न पीड़ितों, मानसिक रूप से बीमार, बोलने या सुनने में अक्षम लोगों को भी शामिल किया है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1996 और **फरि 2004 व 2017** के एक फैसले का हवाला दिया जिसमें उसने इसी तरह के नरिदेश पारित किये थे। जब उसने देश के सभी उच्च न्यायालयों को संवेदनशील गवाहों हेतु 2017 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किये गए दशान नरिदेशों को अपनाने के लिये कहा था।

## प्रमुख बडि:

- संवेदनशील गवाह:** संवेदनशील गवाहों का मतलब केवल बाल गवाहों तक सीमति नहीं होगा। इसमें नमिनलखिति भी शामिल होंगे:
  - यौन हमले के शकिकार।
  - आईपीसी की धारा 377** (अप्राकृतिक अपराध) के तहत यौन उत्पीड़न के शकिकार।
  - मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017** में परभिषति मानसिक बीमारी से पीड़ित गवाह।
- खतरो के शकिकार गवाह और कोई भी भाषण या श्रवण बाधति व्यकृता या कसिी अन्य वकिलांगता से पीड़ित व्यकृता।
- संवेदनशील गवाह जमा केंद्र (VWDC):** सर्वोच्च न्यायालय ने नरिदेश दिया कसिभी उच्च न्यायालय (HC) दो महीने की अवधा के भीतर एक **संवेदनशील गवाह जमा केंद्र (VWDC)** योजना को अपनाएँ और अधसिचति करें।
- संवेदनशील गवाह जमा केंद्र (Vulnerable Witness Deposition Centre- VWDC)**
  - VWDC संवेदनशील गवाहों के साकष्य दर्ज़ करने के लिये एक सुरकषति और बाधा मुक्त वातावरण प्रदान करेगा।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय से यह सुनशिचति करने को कहा कसिप्रत्येक ज़िले में एक VWDC हो।
  - इन VWDC को **वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR)** केंद्रों के नकिट स्थापति कथिा जाना चाहयि।
- हतिधारकों को संवेदनशील बनाना:** सर्वोच्च न्यायालय ने VWDC के प्रबंधन के लिये प्रशकषण कार्यक्रम आयोजति करने और बार, बेंच व कर्मचारयिों सहति सभी हतिधारकों को संवेदनशील बनाने के महत्त्व की ओर भी इशारा कथिा है।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्त गीता मतिवल से अखलि भारतीय VWDC प्रशकषण कार्यक्रम को डज़ाइन करने और लागू करने के लिये समति के अध्यकष के रूप में कार्य करने का आग्रह कथिा।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने समति के अध्यकष को प्रशकषण की योजनाओं हेतु एक प्रभावी इंटरफेस प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय और राज्य कानूनी सेवा प्राधकिरणों के साथ जुड़ने का भी नरिदेश दिया।
  - साथ ही न्यायालय ने केंद्रीय महिला एवं बाल वकिस मंत्रालय को आवश्यक लॉजसि्टकिस सहायता के समन्वय हेतु एक नोडल अधकिारी की नयिकृता का नरिदेश दिया है।

## भारत में गवाह संरक्षण:

- वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने **'गवाह संरक्षण योजना- 2018'** को मंजूरी दी थी, कसिका उद्देश्य एक गवाह को नडिर और सचचाई से गवाही देने में सकषम बनाना है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कसि:

- अदालतों में स्वतंत्र रूप से गवाही देने का गवाहों का अधिकार **अनुच्छेद-21 (जीवन का अधिकार)** का हिस्सा है।
- यह योजना भारत के संविधान के **अनुच्छेद 141 और 142** के तहत एक कानून के तौर पर लागू होगी।
- न्यायपीठ ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को संवेदनशील गवाह केंद्र स्थापित करने को भी कहा है।
- यद्यपि यह योजना अभी तक संसद में लंबित है, सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों में इस योजना को तुरंत लागू करने का आदेश दिया है और स्पष्ट कहा कि यह योजना देश में कानून के तौर पर लागू होगी।
- वर्षों से **वधि आयोग** की विभिन्न रिपोर्टों और न्यायालय के विभिन्न नर्णयों में गवाहों की रक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
  - गुजरात राज्य बनाम अनरिद्ध सहि (1997), 14वें वधि आयोग की रिपोर्ट और **मलीमथ समिति** की रिपोर्ट ने गवाह संरक्षण योजना की सफारिश की है।

## आगे की राह

- गवाह 'न्याय की आँख और कान' होते हैं और ऐसे में यह योजना राष्ट्र की प्रभावी न्याय वितरण प्रणाली की दृष्टि में एक सही कदम साबित होगी।
- हालाँकि अब तक ऐसे कई तदर्थ कदम उठाए गए हैं, जिसमें संवेदनशील गवाहों हेतु कुछ समर्पित अदालत कक्ष और गवाहों की पहचान छुपाना (आतंकवाद वरिधी आदि जैसे मामलों में) आदि शामिल हैं, कति ये अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में असफल रहे हैं।
- इसलिये गवाहों से छेड़छाड़ के खिलाफ नषिध पर जोर देने के वधियी उपाय मौजूदा समय की अपरहार्य आवश्यकता बन गए हैं।

## स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/protecting-vulnerable-witnesses-sc>

